

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
दिनांक 04.01.2024

थाना ललौली पुलिस द्वारा गौकशी व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में वांछित शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना ललौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/2025 धारा 109 BNS (पुलिस मुठभेड़) व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० मे वांछित शातिर अभियुक्त फैसल नट पुत्र सग्गीर निवासी ग्राम जजरहा थाना ललौली जनपद फतेहपुर को मुखबिर की सूचना पर मुल्ला जी के ट्यूबेल रोड किनारे बहद ग्राम कोरकनक थाना ललौली जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/24 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त(वांछित) का नाम व पता-

1. फैसल नट पुत्र सग्गीर निवासी ग्राम जजरहा थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी -

- 1- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त फैसल नट का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 15/2024 धारा 376/452/506 भादवि थाना ललौली जनपद फतेहपुर ।
2. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 109 BNS (पुलिस मुठभेड़) व 3/50/8 गोवध निवारण अधि० थाना ललौली जनपद फतेहपुर ।
3. मु0अ0सं0 03/2025 धारा 3/25 Arms Act थाना ललौली जनपद फतेहपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:--

1. थानाध्यक्ष बृन्दावन राय थाना ललौली जनपद फतेहपुर ।
2. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह
3. का0 जितेन्द्र सिंह
4. का0 पूरनमल
5. का0 मनीष शुक्ला
7. का0 रामरतन
6. का0 लालप्रताप सोनिया

**सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर**